

# डाकघर नकदी पत्र अधिनियम, 1917

(1917 का अधिनियम संख्यांक 18)<sup>1</sup>

[19 सितम्बर, 1917]

## डाकघर पंचवर्षीय नकदी पत्रों के अन्तरण पर निर्बन्धन लगाने तथा मृत व्यक्तियों के नाम ऐसे पत्रों मद्धे संदाय के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

डाकघर पंचवर्षीय नकदी पत्रों के अन्तरण पर निर्बन्धन लगाना तथा मृत व्यक्तियों के नाम ऐसे पत्रों मद्धे संदाय के लिए उपबंध करना समीचीन है; अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डाकघर नकदी पत्र अधिनियम, 1917 है।

2. प्राधिकृत अधिकारी की सम्मति के बिना डाकघर पंचवर्षीय नकदी पत्रों के अन्तरण का प्रतिषेध—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में या किसी विधि के नियम में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी डाकघर पंचवर्षीय नकदी पत्र का (चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया) कोई अन्तरण <sup>2</sup>[डाकघर के किसी ऐसे अधिकारी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना विधिमान्य नहीं होगा जो उस निमित्त केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत है]।

(2) इस धारा में “अन्तरण” से जीवित व्यक्तियों के बीच अन्तरण अभिप्रेत है और विधि की क्रिया द्वारा अन्तरण इसके अन्तर्गत नहीं है।

3. डाकघर पंचवर्षीय नकदी पत्र के धारक की मृत्यु पर संदाय—(1) यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और अपनी मृत्यु के समय डाकघर पंचवर्षीय नकदी पत्र का धारक है, तो ऐसे पत्र पर तत्समय देय राशि का संदाय मृत व्यक्तियों की सम्पदाओं के निक्षेपों के संदाय के लिए सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) में उपबंधित रीति से किया जा सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 4 से धारा 9 तक के उपबंध तदनुसार ऐसे लागू होंगे मानो ऐसे पत्र का धारण सरकारी बचत बैंक में निक्षेपकर्ता हो और ऐसे पत्र पर तत्समय देय राशि ऐसे बैंक में निक्षेप हो <sup>3</sup>[और मानो उक्त अधिनियम की <sup>4</sup>[धारा 8 में] “तीन हजार” शब्दों के स्थान पर “पांच हजार” शब्द रख दिए गए हों] :

परन्तु उक्त उपबंधों द्वारा सरकारी बचत बैंक के सचिव को प्रदत्त शक्तियां उस क्षेत्र के महाडाकपाल द्वारा, जिसमें ऐसे पत्र के निर्गम का डाकघर स्थित है, <sup>5</sup>[या यदि वह क्षेत्र पाकिस्तान में है, तो भारत में ऐसे क्षेत्र के महाडाकपाल द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे], प्रयोक्तव्य होगी :

परन्तु यह और कि जब किसी एक मामले में एक से अधिक डाकघरों से निर्गमित पत्रों मद्धे संदाय किया जाना है तब उक्त शक्तियां उस क्षेत्र के महाडाकपाल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी जिसमें उक्त डाकघरों में से कोई डाकघर स्थित है।

(2) उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को किसी डाकघर पंचवर्षीय नकदी पत्र पर देय रकम के संदाय को, उसकी परिपक्वता के पूर्व स्वीकार करने के लिए अपेक्षित करती है।

<sup>1</sup> इस अधिनियम का बरार पर विस्तार बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा किया गया है और इसे खोण्डमल जिले में खोण्डमल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4), धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा, और अंगुल जिले में अंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5), धारा 3 और अनुसूची द्वारा प्रवृत्त घोषित किया गया है। इसे सिंहभूम जिले में पाराहाट सम्पदा विधि विनियम, 1945 (1945 का बिहार विनियम 1) द्वारा लागू किया गया है।

इस अधिनियम का विस्तार 1-9-1962 से अधिसूचना सं० का०आ० 2734, तारीख 1-9-1962 द्वारा गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर किया गया; देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) पृ० 1991।

यह अधिनियम 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवृत्त किया गया तथा 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और पहली अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर प्रवृत्त हुआ।

<sup>2</sup> 1920 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा (1-7-1965 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1920 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>4</sup> 1943 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा “धारा 4 और 8 में” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा अन्तःस्थापित।